राजस्व अपील संख्या 546 / 2022

अनवान

सोहनराम वगैराह बनाम राज0 सरकार

दिनांक 20–10–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर के द्वारा आदेश कमांक 2021 / पीकेजीएस / 2279 दिनांक 05.12.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.12.2021 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात इत्यादि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार पर अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणी, जिला जोधपुर के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 05.12.2021 के कम मे प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर तहसीलदार, लूणी को निर्देशित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका जॉच करे तथा मौका जॉच पश्चात मौका फर्द एवं मौका नक्शा तैयार किया जावे। उक्तानुसार कार्यवाही के साथ– साथ पक्षकारान की विधिवत सुनवाई की जाकर उपखण्ड अधिकारी, लूणी प्रकरण का निस्तारण करें। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नहीं करें। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति0 संभागीय आयुक्त,
जोधपुर